

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

14.7.25

पत्रावली पेश हुई। (वकील जाली उप.) वकील
जालीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।
जालीगण को जालीगण की काल किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। जो
शाकिल पत्रावली दे। पत्रावली जालीगण सुनाए होकर
दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)